न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 152/2018/223 आरटीए

1. विद्यादेवी पत्नि स्व. धोकलराम जाति स्वामी निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटा

बनाम

1. संतरो देवी पत्नि स्व. संतोषकुमार जाति स्वामी निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. विकास पुत्र संतोषकुमार जाति स्वामी नाबालिग जरिये माता संतरो देवी पत्नि संतोषकुमार निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. पूजा पुत्री संतोषकुमार जाति स्वामी नाबालिग जरिये माता संतरो देवी पत्नि संतोषकुमार निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
5. ब्रांच मैनेजर इलाहाबाद बैंक हनुमानगढ टाउन।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
मु.न. 117/2012 अनवानी संतरो बनाम विद्यादेवी

उपस्थित :–
श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलांट
श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांक 30.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादित भूमि सहित कुल 50 बीघा भूमि बेगदास व मोटाराम पिसरान रामजीदास के नाम से बहिस्सा बराबर रिकार्ड मे दर्ज थी। बेगदास के कोई संतान नही थी उसने अपने हिस्सा की 25 बीघा भूमि की वसीयत अपने भतीजे हनुमान, श्योपत व धोंकलराम पिसरान मोटाराम के पक्ष मे करवा दी थी। बेगदास की मृत्यु हो जाने पर उसके हिस्सा की 25 बीघा भूमि मुताबिक वसीयतनामा हनुमान, श्योपत व धोंकलराम पिसरान मोटाराम करे प्राप्त हुई और वे भूमि पर काबिज हुए। वसीयत का इंतकाल दर्ज करने से पहले धोंकल का स्वर्गवास हो गया। धोंकलराम के वारिसान संतोषकुमार पुत्र व अपीलांटा विद्यादेवी पत्नि थे परन्तु इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने धोंकल के हिस्सा की भूमि का इंतकाल सं. 69 गलती से अकेले संतोषकुमार के नाम से दर्ज कर दिया जबकि संतोषकुमार व विद्यादेवी दोनो के नाम से बहिस्सा बराबर

दर्ज होना चाहिए था। अपीलांटा के ससुर मोटाराम के नाम से 25 बीघा भूमि थी। मोटाराम के 3 पुत्र व 4 पुत्रियां थी। मोटाराम की मृत्यु से पूर्व धोकलराम का स्वर्गवास हो गया था इसलिए मोटाराम की 25 बीघा भूमि मे हनुमान, श्योपत 2/7 हिस्सा व संतोषकुमार व अपीलांटा विद्यादेवी 1/7 हिस्सा के व मोटाराम की 4 पुत्रियां 4/7 हिस्सा की अधिकारी हुई। मोटाराम की चारो पुत्रियों ने अपना हिस्सा त्याग दिया और दस्तबरदारी करवा दी। चारो पुत्रियों द्वारा हिस्सा त्याग करने पर मुताबिक कानून मोटाराम की भूमि मे हनुमान, श्योपत 2/3 हिस्सा के अधिकारी हुए तथा संतोषकुमार व अपीलांटा विद्यादेवी बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के अधिकारी हुए परन्तु दस्तबरदारी का इंतकाल दर्ज करते समय इंतकाल अकेले संतोषकुमार के नाम से दर्ज कर दिया गया जो गलत व विधि विरूद्ध है। हक त्याग करने पर शेष सभी सहहिस्सेदार को हिस्सा प्राप्त होता है जैसा कि एआईआर 2003 आंधप्रदेश पेज 498 व आरआरटी 2014(1) पेज 509 मे माननीय न्यायालयों द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। संतोषकुमार के स्वर्गवास के बाद उसके हिस्सा की (1/2 हिस्सा) भूमि मे मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व अपीलांटा बहिस्सा बराबर के अधिकारी हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व कानूनी प्रावधान व अपीलांटा के वकील द्वारा प्रस्तुत कानून व रूलिंग्स पर कोई गौर नही किया। अपीलांटा ने उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की है।

2. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि सिविल न्यायालय द्वारा अपीलांटा व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को धोकलराम व संतोषकुमार के वारिसान घोषित किया गया है। अपीलांटा ने सिविल कोर्ट के निर्णय की नकल पेश की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल कोर्ट के निर्णय पर कोई गौर नही किया। अपीलांटा एक विधवा व वृद्ध व बेसहारा औरत है जिसका एक मात्र सहारा उसका पुत्र संतोषकुमार था जो फौत हो चुका है। रेस्पो0 सं. 1 अपने बच्चो के साथ अलग रहती है जो अपने पिता व भाई के बहकावे मे है तथा अपीलांटा को तंग व परेशान करती है। धोंकलराम के हिस्सा की भूमि अपीलांटा का हक है तथा

संतोषकुमार के हिस्सा की भूमि मे भी अपीलांटा का हक है। धोंकलराम को बेगदास द्वारा निष्पादित वसीयत के जरिये भूमि प्राप्त हुई है। मोटाराम ने कोई वसीयत नही करवाई है तथा संतोषकुमार के पक्ष मे कोई वसीयत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णय गलत व विधि के प्रावधान के विरूद्ध किया है। संतोषकुमार की भूमि मे मुताबिक उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूचि मे पुत्र, पुत्री, पत्नि व माता आते है जो चारो बहिस्सा बराबर के अधिकारी है। अपीलांटा ने घोषणात्मक डिक्री खाता तकसीम व मुताबिक तकसीम कब्जा दिलाने हेतु काउंटर क्लेम पेश किया जिसकी कोई मियाद नही होती है। जब अदालत मे विवादित भूमि की बाबत दावा चल रहा हो तो इंतकाल की अपील पेश करना आवश्यक नही है। दावा का निर्णय ही माना जावेगा। विवादित भूमि संयुक्त खाता की भूमि मे जिसमे अपीलांटा व संतोषकुमार संयुक्त रूप से काश्त करते थे। संतोषकुमार की मृत्यु के बाद अपीलांटा व संतरो देवी संयुक्त रूप से काश्त करने लगे। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 ता 10 का निर्णय गलत व विधि विरूद्ध पारित किया है। अधिवक्ता अपीलांटा ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2017 (2) पेज 745, आरआरटी 2014 (1) पेज 509 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 अपास्त किया जाकर अपीलांट/प्रतिवादिया का काउंटर क्लेम डिक्री किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 22 एचएमएच की कुल 4.217 है0 सांझे तौर पर खातेदार दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम सांझे खाते मे 0.452 है0 हिस्सा दर्ज है। वादी सं. 1 के पति व 2 व 3 के पिता संतोषकुमार के नमा बतौर खातेदार सांझे तौर पर 3.7651 हिस्सा दर्ज है। संतोषकुमार अर्सा पूर्व फौत हो गया है जब तक संतोष कुमार जीवित रहा अपने हिस्से की 15 बीघा भूमि पर वादीगण के साथ मिलकर काश्त करता रहा था। संतोषकुमार के फौत होने के बाद करीब 15 बीघा भूमि सांझे तौर पर वादीगण का कब्जा काश्त मे है। वादी सं.

1 के विधवा व वादी सं. 2 व 3 के नाबालिग होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति मे वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण को आराजी वर्णित दफा 2 अर्जीदावा सांझे कब्जा काश्त से बेदखल करने से बाज ममनू रहे तथा इसी अनुसार वादग्रस्त 3.7651 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को बखूबी साबित किया है और विधि अनुसार वादीगण को प्राप्त संतोषकुमार की भूमि मे प्रतिवादिया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है क्योंकि उक्त भूमि पैतृक सम्पति नही है बल्कि संतोषकुमार को जरिये दस्तबरदारी व वसीयत प्राप्त हुई है यदि प्रतिवादिया को उक्त सम्पति मे किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा हिस्सा प्राप्त करना है तो उसे सर्वप्रथम रजिस्टर्ड दस्तावेजात को सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती देनी आवश्यक थी। वादीगण जो कि नाबालिग व विधवा है, उनका हक माननीय न्यायालय द्वारा रक्षित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। उक्त समस्त तथ्यों को वादिया द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित किया गया है कि प्रतिवादिया का विधि अनुसार उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही बनता है, यदि बेगदास से प्राप्त भूमि का नामान्तरण संतोषकुमार के नाम अकेले दर्ज हो गया था तो उसके विरूद्ध भी नामान्तरण के संबंध मे भी सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जानी थी जबकि विद्या देवी द्वारा ऐसी कोई अपील प्रस्तुत नही की गई जो कानूनन आवश्यक थी। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादिया, संतोषकुमार के नाम दर्ज भूमि मे किसी प्रकार का हक व हिस्सा व खाता विभाजन करवाने की अधिकारी नही है। प्रतिवादिया द्वारा सिविल न्यायालय से धोंकलराम व संतोषकुमार के वारिसान घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त की गई है लेकिन उस डिक्री मे प्रतिवादिया को धोंकलराम का वारिस घोषित किया गया है। संतोषकुमार का वारिस होने के संबंध मे अलग से कोई टिप्पणी नही है। ऐसी स्थिति मे वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य है और प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत कांउटर क्लेम खारिज किये

Web Copy - Not Official

जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय यथावत रखा जावें।

4. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि चक 22 एचएमएच के बेगदास व मोटाराम पिसरान रामजीदास के नाम बहिस्सा बराबर 50 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। बेगदास लावल्द फौत हो गया। बेगदास द्वारा अपने हक व हिस्सा की 25 बीघा आराजी की एक वसीयत हनुमानदास, श्योपतराम व धोंकलराम के पक्ष मे करवा दी। वसीयत का इंतकाल होने से पूर्व ही धोंकलराम की मृत्यु हो चुकी थी। धोंकलराम के हिस्सा की भूमि का इंतकाल उसके पुत्र संतोषकुमार के दर्ज कर दिया जबकि धोंकलराम के वारिसान मे संतोषकुमार के साथ धोंकलराम की पत्नि विद्यादेवी भी मौजूद थी परन्तु इंतकाल मात्र संतोषकुमार के नाम दर्ज कर दिया जबकि धोंकलराम को वसीयत मे प्राप्त भूमि धोंकलराम के फौत होने पर संतोषकुमार व विद्यादेवी बहिस्सा बराबर के अधिकारी थे। मोटाराम के नाम से 25 बीघा भूमि थी। मोटाराम के 3 पुत्र व 4 पुत्रियां थी। मोटाराम की मृत्यु से पूर्व धोकलराम का स्वर्गवास हो गया था इसलिए मोटाराम की 25 बीघा भूमि मे हनुमान, श्योपत 2/7 हिस्सा व संतोषकुमार व अपीलांटा विद्यादेवी 1/7 हिस्सा के व मोटाराम की 4 पुत्रियां 4/7 हिस्सा की अधिकारी हुई। मोटाराम की चारो पुत्रियों ने अपना हिस्सा त्याग दिया और दस्तबरदारी करवा दी। चारो पुत्रियों द्वारा हिस्सा त्याग करने पर मुताबिक कानून मोटाराम की भूमि मे हनुमान, श्योपत 2/3 हिस्सा के अधिकारी हुए तथा संतोषकुमार व अपीलांटा विद्यादेवी बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के अधिकारी हुए परन्तु दस्तबरदारी का इंतकाल दर्ज करते समय इंतकाल अकेले संतोषकुमार के नाम से दर्ज कर दिया गया जो गलत व विधि विरूद्ध है। हक त्याग करने पर शेष सभी सहहिस्सेदार को हिस्सा प्राप्त होता है जैसा कि एआईआर 2003 आंधप्रदेश पेज 498 व आरआरटी 2014(1)

पेज 509 मे माननीय न्यायालयों द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। संतोषकुमार के स्वर्गवास के बाद उसके हिस्सा की (1/2 हिस्सा) भूमि मे मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व अपीलांटा बहिस्सा बराबर के अधिकारी हुए। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया स्वीकार करते हुए चक 22 एचएमएच खाता सं. 211/194 खाता विद्यादेवी मे सांझा खाता दर्ज कुल 4.217 मे स्व. संतोषकुमार के नाम दर्ज आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए अपीलांटा/प्रतिवादिया का कांउटर क्लेम खारिज किया गया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर काउंटर क्लेम अपीलांटा/प्रतिवादिया डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादिया/अपीलांटा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि विवादित भूमि चक 22 एचएमएच की कुल 4.217 है0 भूमि मे 1/2 हिस्सा की अपीलांटा विद्यादेवी खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 जो स्व0 संतोषकुमार के हिस्सा है, उसमे भी अपीलांटा विद्यादेवी व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के यानि प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार कुल 4.217 है0 भूमि मे से अपीलांटा को 5/8 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को 3/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को दावा विभाजन हेतु प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे निर्णय के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं. 152/2018/223 आरटीए विद्यादेवी बनाम संतरो देवी 2018/00281

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 152/2018/223 आरटीए

1. विद्यादेवी पत्नि स्व. धोकलराम जाति स्वामी निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटा

बनाम

1. संतरो देवी पत्नि स्व. संतोषकुमार जाति स्वामी निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. विकास पुत्र संतोषकुमार जाति स्वामी नाबालिग जरिये माता संतरो देवी पत्नि संतोषकुमार निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. पूजा पुत्री संतोषकुमार जाति स्वामी नाबालिग जरिये माता संतरो देवी पत्नि संतोषकुमार निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
5. ब्रांच मैनेजर इलाहाबाद बैंक हनुमानगढ टाउन।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
मु.न. 117/2012 अनवानी संतरो बनाम विद्यादेवी

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलांट, श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादिया/अपीलांटा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि विवादित भूमि चक 22 एचएमएच की कुल 4.217 है0 भूमि मे 1/2 हिस्सा की अपीलांटा विद्यादेवी खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 जो स्व0 संतोषकुमार के हिस्सा है, उसमे भी अपीलांटा विद्यादेवी व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के यानि प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार कुल 4.217 है0 भूमि मे से अपीलांटा को 5/8 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को 3/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को दावा विभाजन हेतु प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे निर्णय के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ